पत्रांक–02 / विविध (सिरीज)–55 / 2014, परि0

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरूणा कुमारी, बि0प्र0से,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक .....

विषय :– **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–8090, दिनांक–02.11.2026 के संबंध में कहना है कि **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों** के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-01KM** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-01KL** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में **मालवाहक** एवं **व्यावसायिक (परिवहन)** वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 02 / विविध (सिरीज)–55 / 2014, परि0 9829 पटना, दिनांक– 05.11.26

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को ई0–ऑक्शन में समाहित करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05-11-26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–02 / विविध (सिरीज)–55 / 2014, परि0 9829

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरूणा कुमारी, बि0प्र0से,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक 05.11.26

विषय :– **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–8090, दिनांक–02.11.2026 के संबंध में कहना है कि **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों** के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-01KM** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-01KL** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में **मालवाहक** एवं **व्यावसायिक (परिवहन)** वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

04-11-26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।